

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/1399/2024, लखनऊ :: दिनांक-दिसम्बर 05, 2024

संशोधित आदेश

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, आगरा पीठ द्वितीय, आगरा ने अपने पत्र सं0 स0वा0क0अधि0/187/2024 दिनांक 02.12.2024 द्वारा अवगत कराया है कि मुख्यालय के आदेश सं0 1284/2024 दिनांक 04.11.2024 द्वारा आगरा के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 16.12.2024 से 19.12.2024 तक की गठित आगरा युगल पीठ में नामित किया गया है किन्तु व्यक्तिगत कारणों से गठित युगल पीठ में सम्मिलित होने में असमर्थ हैं।

अतः उपरोक्त परिस्थिति पर सम्यक रूप से विचार करते हुए पूर्व निर्गत आदेश सं0 1284/2024 दिनांक 02.12.2024 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए जनपद आगरा में दिनांक 16.12.2024 से 19.12.2024 तक पूर्व गठित युगल पीठ के स्थान पर दिनांक 26.12.2024 से 28.12.2024 तक युगल पीठ गठित की जाती है जिसमें न्यायिक सदस्य, पीठ प्रथम, आगरा एवं सदस्य, पीठ द्वितीय, आगरा सम्मिलित होंगे। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-05.12.2024

(प्रतिमा श्रीवास्तव)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक :: यथोक्त।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ प्रथम व द्वितीय, आगरा।
 - 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
 - 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

प्र० निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।